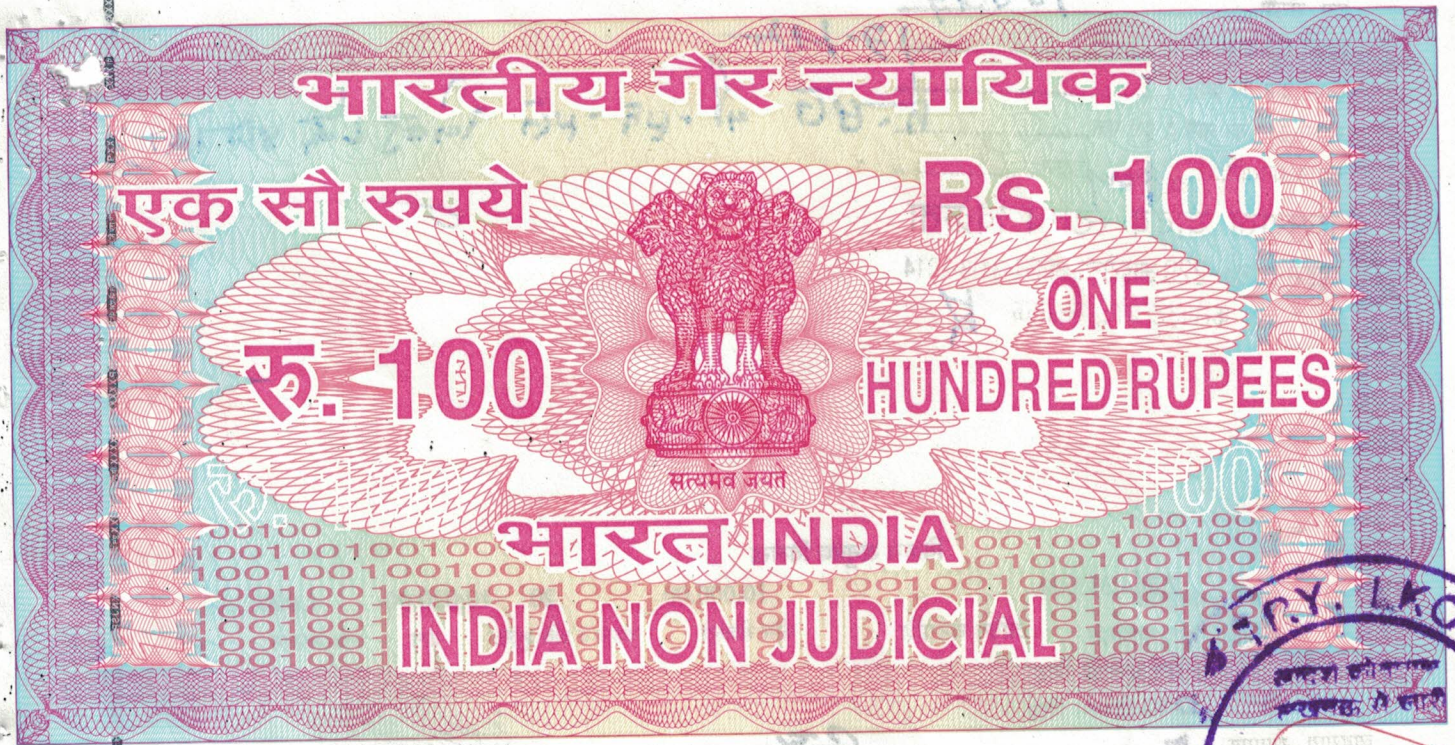




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(37)

संयोजन अस्थाई या स्थाई रूप से सम्बन्धित विभाग से
अपने नाम पर अपने व्यय पर करा लेवे, जिसमें प्रथमपक्ष
को कोई आपत्ति नहीं होगी।

21. यह कि जिस भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्माण अनुबन्ध
किया जा रहा है वह मुख्य मार्ग फैजाबाद रोड से 100

CC

Ying